संपादकीय

डॉ० पंजाबराव ऐस. देशमुख जी 3 अप्रैल, 1955 को भारत कृषक समाज की स्थापना की थी। समाज ने इस वर्ष अपने 60 साल पूरे कर लिऐ हैं। हमने 25 – 26 अप्रैल, 2015 को हरिद्वार, (उत्तराखंड़) में आयोजित 38वें राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई। इसमें लगभग 1,500 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। आने वाले वर्ष में हम अपनी 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कई राज्यों में कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुऐ, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखंड़, श्री हरीश रावत जी ने कहा कि, 'किसानों की हालत की अनदेखी करते हुऐ भारत कभी सुपर पॉवर नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रकार की सब्सिडी किसानों की हालत को मजबूत करने, फसल उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को प्रेरित करने के लिए प्रदान करनी चाहिऐं। पहले किसान जमींदारों तथा ऋण की वजह से संघर्ष करता था लेकिन अब वह नीति निर्माताओं की वजह से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने राज्य में किसानों के कल्याण के लिऐ किऐ जा रहे विभिन्न उपायों के बारे में बात की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार स्कूल स्तर पर कृषि की पढ़ाई तथा मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था शुरू करने की भी योजना बना रही है। मुख्यमंत्री जी ने बीकेएस के कार्यक्रम में विभिन्न भारतीय राज्यों से आऐ किसानों से चार धाम की यात्रा करने का भी अनुरोध किया।'

कृषि विशेषज्ञ, डॉ० देविंदर शर्मा ने सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों पर बात की जो किसानों को कल्याण पहुंचाऐ बिना ही उद्योगपतियों को लाभ देकर समाप्त हो गईं। उन्होंने तुलनात्मक आंकड़े देकर किसान की दुर्दशा पर प्रकाश डालाः 'सन् 1970 में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. 76/– प्रति क्विंटल था। 45 साल बाद आज 2015 में गेहूं की खरीद कीमत रू. 1,450/– प्रति क्विंटल है लगभग 19 गुना। जब हम इसकी तुलना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के औसत वेतन के साथ करते हैं तो हम पाते हैं कि वह 110 – 120 गुना तथा स्कूल के शिक्षकों की 280 – 320 गुना बढ़ चुका है। जल्द ही कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिल जाऐगा जिसमें सबसे छोटे कर्मचारी के वेतन की मांग रू. 26,000/– की जा रही है।'

भारत कृषक समाज किसानों की एक गैर–राजनीतिक, गैर–सांप्रदायिक संघ बने रहने के लिऐ जारी रहेगा जो एक ऐसा साँझा मंच तैयार करता है जहां देश की कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की इच्छा रखने वाले पुरूष व महिलाएं एक साथ मिल सकें और अपनी बौद्धिक क्षमता, संसाधनों तथा ऊर्जा का उपयोग उन किसानों की मदद के लिए कर सकें जो अपनी भूमि पर अधिक से अधिक पैदावार करने के कार्य में लगे हुए हैं। हमारे उद्देश्य भविष्य में भी हमारे मार्गदर्शक होंगेः

1. भारत में कृषि उत्पादकों द्वारा झेली जा रही समस्याओं का अध्ययन करना।

2. कृषि उत्पादकों, कृषक युवकों तथा कृषक महिलाओं की रक्षा, उन्नति तथा उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों और गतिविधियों को बढ़ावा देना।
3. कृषि उत्पादकों और कृषक परिवारों के प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण और शिक्षा के कार्यों को हाथ में लेना और भारत में कृषक समुदाय को कृषि के तेजी से प्रगति और उत्थान तथा सुधार हेतु एक कुशल उद्योग के रूप में इसे सामने लाने के लिए सरकारी और अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना।
4. राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय कृषि नीतियों और प्रगति को तैयार करने और कृषि उत्पादकों के हित को बढ़ावा देने में सहायता करने के लिए और सहयोग करना और इस देश में या विदेश में उक्त उद्देश्य को आगे संवर्धित करने के लिए कृषि उत्पादकों तथा इसी तरह के अन्य संगठनों के साथ सहयोग करना।
5. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समय–समय पर ऐसे आवश्यक कदम उठाना खासकर, धन के संग्रह और व्यय, प्रचार, बैठकों का आयोजन, सम्मेलन, सेमिनार तथा प्रदर्शनियों, प्रतिनिधियों को भेजने, प्रतिनियुक्त करने, ज्ञापन निष्पादित करने आदि के रूप में, तथा प्रतिनिधिमंडल का आदान प्रदान।

कृषक समाचार के इस अंक में भारत कृषक समाज के पहले 10 सालों की कुछ यादें तथा हरिद्वार, (उत्तराखंड़) में आयोजित 38वें राष्ट्रीय अधिवेशन की कुछ झलकियां प्रकाशित की हैं।